

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**  
**(पद, योग्यता, अनुभव, शर्तें, मानदेय व जिलो का विवरण)**

क्र. सं.	पद नाम व स्तर	संख्या	योग्यता	अनुभव	मानदेय प्रतिमाह	विशेष विवरण
1.	कन्सल्टेन्ट (राज्य)	2	एग्रोनामी / एग्रीकल्चर एक्सटेंशन / सोयल साईन्स / प्लांट ब्रीडिंग में पी. एच. डी.	<ol style="list-style-type: none"> <li>फसल उत्पादन / फसल सुधार का प्रयोगात्मक का 10 वर्ष का अनुभव।</li> <li>प्रोजेक्ट बनाने, सेमिनार प्रोसीडिंग एवं रिपोर्ट लिखने का अनुभव हो।</li> <li>राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आर्टिकल छपे हो।</li> <li>टीम लीडरशिप मोटिवेशन की योग्यता हो।</li> </ol>	रु. 20,000	कृषि निदेशालय हेतु
2.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (राज्य)	2	एम. एस. सी. (कृषि) फसल प्रबंधन की विशेषज्ञता	<ol style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर का ज्ञान (एक्सल, वर्ड एवं पावर पाइट)</li> <li>अनुसंधान तथा विस्तार का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।</li> </ol>	रु 12,000	कृषि निदेशालय हेतु
3.	कन्सल्टेन्ट (जिला)	22	एम.एस.सी. (कृषि) एग्रोनामी / कृषि विस्तार / सोयल साईन्स	<ol style="list-style-type: none"> <li>फसल उत्पादन एवं कृषि विस्तार का 10 वर्ष का अनुभव।</li> <li>टीम लीडरशिप एवं मोटिवेशन की योग्यता हो।</li> </ol>	रु 15,000	प्रत्येक जिले के लिए 1-2 कन्सल्टेन्ट
4.	तकनीकी सहायक (जिला)	88	बी. एस. सी. (कृषि)	<ol style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर का ज्ञान (एक्सल, वर्ड एवं पावर पाइट)</li> <li>अनुसंधान एवं विस्तार का अनुभव हो।</li> </ol>	रु 8,000	प्रत्येक जिले के लिए 4-4 तकनीकी सहायक

मिशन में अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, चितौडगढ़, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर, चुरू एवं झुन्झुनू शामिल हैं।

**शर्तें :-** उक्त सभी पद पूर्णतया अस्थायी, परियोजना अवधि तक ही है एवं प्रार्थियों के चयन, सेवा शर्तें, कार्य संतोषप्रद न होने पर सेवा समाप्ति, सहित समय-समय पर नियोक्ता द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अध्याधीन होंगे।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कन्सलटेंट / वरिष्ठ तकनीकी  
सहायक / तकनीकी सहायक हेतु आवेदन पत्र**

1. नाम अभ्यार्थी .....
2. पिता / पति का नाम.....
3. जाति ..... 4. जन्मतिथि .....
5. वर्तमान आयु..... 6. मूल निवास स्थान.....
7. स्थाई पूर्ण डाक पता .....
8. वर्तमान पूर्ण डाक पता .....
9. दूरभाष सं./मोबाईल न. .... 10. वैवाहिक स्थिति .....
11. ई-मेल पता .....
12. शैक्षणिक योग्यता :— सैकण्डरी एवं उससे आगे

अभ्यार्थी की  
नवीनतम सत्य  
प्रमाणित फोटो  
(पासपोर्ट साईज  
की दो फोटो)

क्र. सं.	शैक्षणिक योग्यता	विषय	स्कूल / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	परीक्षा उत्तीर्ण करने की श्रेणी	परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

13. अनुसंधान एवं विस्तार का फील्ड अनुभव .....
14. प्रकाशित आर्टिकलों का विवरण .....
15. कम्प्यूटर का ज्ञान .....
16. वर्तमान में कहाँ कार्यरत है और क्या कार्य कर रहे हैं ?
17. आवेदन पत्र किस जिले हेतु है .....

**नोट :-** क.सं. 3, 5, 6, 12 से 16 में वर्णित तथ्यों के संबंध में सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र (एक सत्यापित प्रति सहित) के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय मय एक पासपोर्ट साईज की फोटो एवं मूल प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रति के अभाव में आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

**राजस्थान सरकार**  
**कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक एफ.8(1)एनएफएसएम / निकृ / जउप्र / 2007–08 /  
दिनांक :

**विज्ञाप्ति**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर कन्सलटेंट/वरिष्ठ तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक हेतु संविदा पर (On Contractual Basis) चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 5 मार्च, 2008 तक राज्य कृषि प्रबन्ध संरक्षण, टोक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर पर आवेदन जमा करा सकते हैं। संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं योग्यता निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद नाम व स्तर	संख्या	योग्यता
1.	कन्सलटेन्ट (राज्य)	2	पी. एच. डी. इन एग्रोनामी/एग्रीकल्वर एक्सटेंशन/सोयल साईन्स/प्लांट ब्रीडिंग
2.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (राज्य)	2	एम. एस. सी. (कृषि) फसल प्रबंधन की विशेषज्ञता
3.	कन्सलटेन्ट (जिला)	22	एम.एस.सी. (कृषि) एग्रोनामी/कृषि विस्तार/सोयल साईन्स
4.	तकनीकी सहायक (जिला)	88	बी. एस. सी. (कृषि)

इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारियों यथा अनुभव, शर्ते, मानदेय, जिलो का विवरण तथा आवेदन पत्र कृषि विभाग की वेबसाईट [www.rajasthankrishi.gov.in](http://www.rajasthankrishi.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं।

आयुक्त कृषि